



2026:AHC-LKO:22594

उच्च न्यायालय, न्यायिक खंडपीठ इलाहाबाद, लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 10984 वर्ष 2025

रिज़वान

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव (गृह सिविल), लखनऊ के माध्यम से

..... विरोधी पक्ष

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता : शैलेन्द्र कुमार

विरोधी पक्ष की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 28माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसे विचारण के दौरान एफ.आई.आर./ मुकदमा अपराध संख्या 327/2022, धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. अधिनियम, थाना रूपईडीहा, जनपद बहराइच में जमानत पर रिहा किया जाए।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अभियोजन पक्ष के कथनानुसार, अवैध मादक पदार्थ अर्थात् 2 किलोग्राम चरस आवेदक के कब्जे से बरामद होना बताया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे वर्तमान मामले में दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से झूठा फँसाया गया है। कथित बरामदगी असत्य एवं आरोपित है। यद्यपि बरामद मादक पदार्थ वाणिज्यिक मात्रा से अधिक बताया गया है, तथापि उक्त बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। इसके अतिरिक्त, एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 52-A का अनुपालन नहीं किया गया है, क्योंकि संबंधित न्यायालय की कोई स्वीकृति अथवा प्रमाणीकरण प्राप्त नहीं किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय मो. मुस्लिम बनाम राज्य (एन.सी.टी. दिल्ली), 2023 SCC Online SC 352 पर भी निर्भर किया है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अवलोकन किया गया है:-

“13. जब विधि के प्रावधान किसी अभियुक्त के जमानत प्राप्त करने के अधिकार को सीमित करते हैं तथा उसके अनुरूप न्यायिक विवेकाधिकार को भी बाधित (जैसे वर्तमान प्रकरण में एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 37) करते हैं, तब इस न्यायालय ने यह माना है कि ये प्रावधान दो परस्पर प्रतिस्पर्धी मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित करते हैं, अर्थात् अभियुक्त का स्वतंत्रता का अधिकार (जो निर्दोषता की अनुमानित धारणा पर आधारित है) तथा सामाजिक हित – जैसा कि वामन नारायण घिया बनाम राज्य राजस्थान में अवलोकित किया गया है (“जमानत की अवधारणा उस टकराव से उत्पन्न होती है जो एक ओर पुलिस की उस शक्ति के बीच है जिससे वह किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर सकती है, जिस पर अपराध करने का आरोप है, और दूसरी ओर अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषता की धारणा के बीच है।”)। साथ ही, उन्होंने इस शर्त को भी बरकरार रखा कि विचारण शीघ्रतापूर्वक संपन्न किया जाए। करतार सिंह

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

बनाम राज्य पंजाब में संविधान पीठ ने भी इस संबंध में टिप्पणियाँ की हैं। शहीन वेलफेयर एसोसिएशन बनाम भारत संघ में भी इस न्यायालय ने यही भावना व्यक्त की कि जब कठोर प्रावधान बनाए जाते हैं, जो जमानत के प्रावधानों को सीमित करते हैं तथा न्यायिक विवेकाधिकार को संकुचित करते हैं, तब यह इस आधार पर होता है कि जांच और विचारण शीघ्रतापूर्वक संपन्न होंगे।”

21. विचारण में अत्यधिक विलंब के आधार पर जमानत प्रदान करना, अधिनियम की धारा 37 द्वारा प्रतिबंधित नहीं माना जा सकता, विशेषकर जब धारा 436A का प्रावधान अनिवार्य है, जो एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अपराधों पर भी लागू होता है (संदर्भ: सतीन्दर कुमार अंतिल उपर्युक्त)। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय का मत है कि वर्तमान मामले के तथ्यों में अपीलार्थी/आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

22. प्रस्थान से पूर्व यह उल्लेख करना उचित होगा कि यद्यपि ऐसे विधि प्रावधान, जो जमानत देने के लिए कठोर शर्तें लगाते हैं, जनहित में आवश्यक हो सकते हैं; तथापि यदि विचारण समयबद्ध रूप से संपन्न नहीं होता, तो किसी व्यक्ति के साथ होने वाला अन्याय अत्यधिक हो जाता है। कारागार अत्यधिक भीड़भाड़ से ग्रस्त हैं और वहां की जीवन स्थितियाँ प्रायः अत्यंत दयनीय होती हैं। गृह मंत्रालय द्वारा संसद को दिए गए उत्तर के अनुसार, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (NCRB) ने दिनांक 31 दिसम्बर 2021 तक यह दर्ज किया कि देश में कुल क्षमता 4,25,069 के विरुद्ध 5,54,034 बंदी कारागारों में निरुद्ध थे। इनमें से 1,22,852 दोषसिद्ध थे, जबकि शेष 4,27,165 विचाराधीन बंदी थे।

23. अन्यायपूर्ण कारावास का एक गंभीर खतरा यह है कि बंदियों में “कारावासीकरण” का जोखिम उत्पन्न हो जाता है, जिसे केरल उच्च न्यायालय ने A Convict Prisoner बनाम State (अ कन्विक्ट प्रिज़नर बनाम स्टेट) में “एक मौलिक परिवर्तन” बताया है, जिसके परिणामस्वरूप बंदी अपनी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पहचान खो देता है। वह केवल एक संख्या के रूप में जाना जाता है। वह अपनी निजी संपत्तियाँ खो देता है। उसके कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं रहते। स्वतंत्रता, स्थिति एवं व्यक्तिगत जीवन की स्वायत्तता के हास से मनोवैज्ञानिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। कारागार की आंतरिक संस्कृति भयावह सिद्ध होती है। बंदी सामान्य मानकों के अनुसार शत्रुतापूर्ण हो जाता है तथा उसकी आत्म-धारणा परिवर्तित हो जाती है।

24. इसके अतिरिक्त यह भी एक खतरा है कि बंदी स्वयं अपराध की ओर उन्मुख हो सकता है, क्योंकि “अपराध न केवल आकर्षक प्रतीत होता है, बल्कि जितना अधिक पेशेवर अपराध होता है, उतना ही अपराधी को सम्मान मिलता है” (देखें डोनाल्ड क्लेम्मेर, 'द प्रिजन कम्युनिटी', 1940)। कारावास के अन्य भी दुष्परिणाम होते हैं—विशेषकर जब अभियुक्त आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंध रखता हो—तत्काल आजीविका का हास, कई मामलों में परिवार का बिखराव, पारिवारिक संबंधों का टूटना तथा समाज से अलगाव। अतः न्यायालयों को इन पहलुओं के प्रति संवेदनशील रहना आवश्यक है (क्योंकि अभियुक्त के दोषमुक्त होने की स्थिति में उसे हुई क्षति की भरपाई संभव नहीं होती) और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विचारण—विशेषकर उन मामलों में जहाँ विशेष अधिनियम कठोर प्रावधान निर्धारित करते हैं—शीघ्रतापूर्वक प्रारंभ होकर संपन्न किया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय Man Mandal बनाम State of W.B., 2023 SCC Online SC 1868 (मन मंडल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1868) पर भी भरोसा किया है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस आधार पर अभियुक्तों को जमानत प्रदान की थी कि वे लगभग 2 वर्ष का कारावास भोग चुके थे और विचारण निकट भविष्य में पूर्ण होने की संभावना नहीं थी। अतः एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत जमानत प्रदान करने हेतु अभियुक्त को धारा 37 में

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उल्लिखित दोहरे शर्तों की बाधा को पार करना होता है। समय-समय पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनेक निर्णयों में यह प्रतिपादित किया है कि यदि अभियुक्त पर्याप्त अवधि तक कारावास में रह चुका हो तथा विचारण शीघ्र पूर्ण होने की संभावना न हो, तो उक्त दोहरे शर्तों में शिथिलता दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त को शीघ्र विचारण का अधिकार भी प्राप्त है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से प्रवाहित होता है।

यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक दिनांक 02.09.2022 से कारागार में निरुद्ध है, अर्थात् लगभग साढ़े तीन वर्ष से अधिक समय से, तथा उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के जमानत पर रिहा होने के पश्चात् उसके फरार होने अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि बरामद मादक पदार्थ वाणिज्यिक मात्रा से अधिक है।

अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने के उपरांत, तथा वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इस संतोष पर पहुँचा है कि— (i) यह मानने के लिए युक्तिसंगत आधार उपलब्ध हैं कि आवेदक आरोपित अपराध का दोषी नहीं है; तथा (ii) जमानत पर रहते हुए आवेदक द्वारा किसी भी अपराध के करने की संभावना नहीं है।

प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 37 में निहित द्वैध शर्तें पूर्ण हो चुकी हैं तथा यह तथ्य कि बरामद मादक पदार्थ वाणिज्यिक मात्रा से कुछ अधिक है; आवेदक दिनांक 02.09.2022 से निरुद्ध है तथा उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है; और वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

व्यक्त किए बिना, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता/पहुँचती हूँ कि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाना उपयुक्त है।

तदनुसार, जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकृत** किया जाता है।

उक्त प्रकरण अपराध संख्या में संलिप्त आवेदक **रिज़वान** को निर्देशित किया जाता है कि वह न्यायालय संतुष्टि के अधीन समरूप धनराशि के निजी मुचलके तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, जो न्यायहित में अधिरोपित की जाती हैं:-

- (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर कोई दबाव नहीं डालेगा तथा उन्हें भयभीत/प्रभावित नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित है, कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष उन तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ हो।
- (iv) आवेदक इस आशय का एक प्रतिज्ञान-पत्र प्रस्तुत करेगा कि जब साक्ष्य के लिए नियत तिथियाँ पर गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तब वह किसी भी प्रकार का स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला रहेगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करे।
- (v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष, व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। उसके अनुपस्थित रहने की दशा में, बिना

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पर्याप्त कारण के, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(vi) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और वह उक्त उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध बी.एन.एस. की धारा 209 के अंतर्गत विधि अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक सीमित हैं तथा उनका विचारण के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

दिनांक : 31 मार्च, 2026

श्रवण

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।